गैंगवार में की हत्या में 3 यूपी से 2 चंडीगढ़ से गिरफ्तार

पांचों आरोपियों की निशानदेही पर मुख्य आरोपी की तलाश जारी, 3 आरोपियों को लिया पुलिस रिमांड, 2 को आज किया जाएगा पेश

देसी कट्टे के बल पर किया था किडनैप, बुधवार को हुई थी युवक की मौत

चंडीगढ़, 12 जुलाई (लूना): अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक युवक की हत्या के मामले में सारंगपुर थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने हत्या के इस मामले में यूपी से तीन युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि दो को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान सारंगपुर के मकान नंबर-130 में रहने वाले अनुज खान (25), इसका भाई अमित उर्फ अन्ना (18), रामदरबार फेज-2 निवासी सुमित (27) (जो यूपी से गिरफ्तार किए गए)। बाकी दोनों की पहचान नया गांव की जनता कालोनी निवासी विक्की कुमार (23) व डड्डू माजरा कालोनी निवासी प्रदीप (23) के रूप में हुई है।

पकड़े गए तीन आरोपियों को अदालत में पेश करने ले जाती पुलिस।

7 जून को नया गांव के रहने वाले सौरव मैंडी की रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। नया गांव थाना पुलिस ने मृतक के भाई प्रीतम की शिकायत पर हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नया गांव थाना पुलिस ने मामले में आकाश, उड्डू व नोनू को गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि मान व गोला (मुख्य आरोपी) अभी फरार चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रीतम के भाई की हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी मान, खुड्डा लाहौरा के रहने वाले विजय के साथ उसके घर आकर उसे धमकी देकर गया था कि उसके भाई की तरह उसे भी वह मार देंगे। इसी खुन्नस के चलते प्रीतम के भाई के दोस्तों ने जनता कालोनी, नया गांव निवासी विजय व उसके दोस्त रिशु को किडनैप कर लिया और गाड़ी से उसे रामदरबार अपने एक अन्य दोस्त के घर ले गए, जहां अनुज खान ने प्रीतम को भी बुला लिया और सभी ने मिलकर बेसबॉल के डंडों से दोनों जमकर धुलाई की और फिर अनुज खान ने देसी कट्टे की नोक पर उन्हें धमकाया। इसके बाद ये सभी विजय व रिशू को घायलावस्था में खुड्डा लाहौरा पुल के पास फैंक कर फरार हो गए। जिसके बाद घायलों ने पुलिस को सूचना दी थी और दोनों को पीजीआई में भर्ती करवाया था, जहां बुधवार को रिशू की उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।

वारदात में इस्तेमाल दोनों गाड़ियां बरामद

वारदात में इस्तेमाल की गई ट्वेरा व एसैंट दोनों गाड़ियां पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस अब वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा, बेसबॉल बरामद करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने बरामदगी व मुख्य आरोपी की तलाश करने के लिए ही पकड़े गए आरोपियों का चार दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है।

किडनैपिंग से पहले पी शराब

सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपी सैक्टर-40 के एक ठेके में शराब पी रहे थे। उस दिन जब वो खुड्डा लाहौरा की तरफ जा रहे थे तो उन्हें विजय व उसका दोस्त दिखा जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त की गाड़ी मांगी और फिर उसी में दोनों को किडनैप कर रामदरबार अपने एक अन्य दोस्त के घर ले गए थे।

वारदात के बाद यूं पकड़े गए आरोपी

हत्या की वारदात के बाद डीएसपी सैंट्रल कृष्ण कुमार की अगुवाई की टीमें बनाई गई और एसएचओ राम रत्न की देखरेख में टीमों ने पहले सारंगपुर में अमित अन्ना व अनुज खान के घर पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने पता चला कि दोनों अपनी बुआ के घर यूपी गए हुए हैं। जिसके बाद पुलिस टीम ने यूपी में रेड की और इन दोनों के अलावा सुमित को भी धर दबोचा। सुमित भी इनके साथ यूपी फरार हो गया था।

> हत्या के इस मामले में पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इनकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
>
> -राम रत्न शर्मा, एसएचओ सारंगपुर।

चोरी व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाला दबोचा

चंडीगढ़ (लूना) : चोरी व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 22 साल के लक्की को सैक्टर-39 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सैक्टर-56 के मकान नंबर-5866 में रह रहा है। पुलिस ने आरोपी से 4 मोबाइल फोन व 2 वाहन बरामद किए हैं। 9 जुलाई को सैक्टर-56 निवासी मजेश कुमार ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि किसी ने उसके घर से 3 मोबाइल चोरी कर लिए हैं। शिकायत के बाद सेक्टर-39 थाना प्रभारी राजदीप सिंह ने एक टीम गठित की। जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना पर पल्सोरा चौकी टीम ने लक्की को नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 मोबाइल, 1 ज्यूपिटर और 1 एक्टिवा बरामद की है। पुलिस प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। वह स्वीपर का काम करता है। आरोपी के गिरफ्त में आने पुलिस ने सैक्टर-39 थाने में दर्ज चोरी के 3 और स्नैचिंग का 1 मामला सुलझा लिया है।

दैनिक सवेरा
Fri, 13 July 2018
dainiksaveratimes.epapr.in/c/30

घर में घुसकर मारपीट करने वाले को 5 साल कैद, 2 हजार जुर्माना

चंडीगढ़, 12 जुलाई (संदीप): घर में जबरन घुसकर परिवार के लोगों पर हमला करने के मामले में जिला अदालत ने मनीमाजरा निवासी रोहित को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले अदालत इसी मामले में दोषी परमात्मा को 5 साल की सजा सुना चुकी है। वहीं दो अन्य आरोपियों सोनू और सूरज को सबूतों के अभाव में बरी किया जा चुका है। केस के अनुसार मौलीजागरां निवासी पवन ने पुलिस शिकायत में बताया था कि 3 जनवरी 2015 की रात वह परिवार के साथ घर पर था। रात करीब 10.30 बजे परमात्मा और रोहित अन्य युवकों के साथ उनके घर के बाहर पहुंचा। आरोपियों ने इस दौरान दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और उसके साथ व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की। मारपीट में पवन और उसके परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए थे।

पंजाब केसरी ई-पेपर
Fri, 13 July 2018
epaper.punjabkesari.in/c/30303488

SAFETY ON MIND

An awareness workshop on females to wear helmet was organised by Chandigarh Traffic Police at Infosys, IT Park, UT Chandigarh. DP

Daily Post Dt: 13/07/2018

Six accused arrested in murder case

2 vehicles recovered; 3 sent to remand; others to be presented in court today

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, JULY 12

A day after a Nayagaon resident succumbed to his injuries after he, along with his friend, was kidnapped and thrashed before abandoning near Khuda Lahora, the Chandigarh Police have arrested six accused in the case.

Three accused, identified as Anuj and Amit, both brothers, who are residents of Sarangpur, and Sumit, a resident of Ram Darbar, were arrested by the Chandigarh Police from Uttar Pradesh on Wednesday night. They were produced in the court on Thursday and sent to four-day police remand.

While the remaining three accused, identified as Pardeep, a resident of EWS Colony, Sector 38 (West), Vicky Kumar, a resident of Sector 36, and Deepak Thapa, a resident of Dadu Majra Colony, were arrested late on Thursday evening. They will be produced in the court of Friday. The police have also recovered two cars used in the crime.

On July 7, Vijay, a resident of Janata Colony, Nayagaon, Mohali, along with his friend Rishu, was going on a scooter towards Nayagaon, when a car had intercepted them and forced them to stop.

The accused thrashed and bundled them into the car. They took the victims to a house in Nayagaon, where they were thrashed by the trio. After a few hours, the accused abandoned the victims in a forest area at Khuda Lahora.

The police were informed about the incident and the victims were shifted to the hospital.

The police said Rishu, a resident of Nayagaon, who was admitted to the PGI, succumbed to the injuries on July 11.

Earlier, a case of attempt to murder was registered at the Sarangpur police station, which was later converted into a murder case.

Youth jailed for trespass, criminal intimidation

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, JULY 12

A Mani Majra-based youth has been sentenced to five-year jail for entering a house and intimidating a family.

The Court of Additional Sessions Judge RK Sharma found the convict, Rohit, guilty under Sections 427 (mischief causing damage to the amount of Rs 50), 458 (house trespass) and 506 (criminal intimidation) of the IPC. He has also been directed to pay a fine of Rs 2,000 by the court.

In this case, Parmatma, alias Batista, has already been sentenced to five-year jail, while two other accused were acquitted after the complainant had refused to identify them in the court.

As per the complaint of Mauli Complex resident Pawan Kumar, in January 2015, he was in his house with his family and was watching television. Around 10:30 pm, the convicts, along with four other persons, started knocking on his door. On peeping through the window, Kumar saw that the men were armed with swords, bats and sticks. The family thus climbed upstairs and locked themselves inside.

The men then broke open the door and entered the house. As per the complaint, the family members were dragged out of the room in which they were hiding. The men thrashed family members of Kumar leaving several of them injured. They had come with an intention to kill the family members. However, the neighbours gathered in the meanwhile and the attackers fled.

The family then contacted the police who took the injured to a hospital and registered a case against the accused. Parmatma and Rohit had initially been declared proclaimed offenders by the court, but were later arrested and tried in the court.

Accused told to pay ₹2,000 fine

The Court of Additional Sessions Judge RK Sharma found the convict, Rohit, guilty under Sections 427 (mischief causing damage to the amount of Rs 50), 458 (house trespass) and 506 (criminal intimidation) of the IPC. He has also been directed to pay a fine of Rs 2,000 by the court.

Manimajra youth jailed for 5 years for assaulting man, his family

CHANDIGARH: The Chandigarh district court on Thursday convicted a 28-year-old Manimajra man and sent him to five-year jail for having entered a house and assaulted a man and his family in January 2015. The court of additional sessions judge RK Sharma also slapped a fine of ₹2,000 on the convict, Rohit.

As per the complaint of Mauli Complex resident Pawan Kumar, Rohit along with six-seven persons, armed with swords, bats and sticks, had knocked on his door while the family was watching television. The family had climbed upstairs and locked themselves inside a room.

However, the men broke the door, entered the house, dragged the family out of the room, and thrashed them, injuring them. As the neighbours gathered, the men fled the spot. Later four of them, including Rohit, were booked under the IPC. Kumar had complained that the men had come to kill him over some old dispute.

Rohit and one of the accused, Parmatma alias Batista, had initially been declared proclaimed offenders by the court but were later arrested and tried.

Parmatma has already been sentenced to five years in jail while two other accused were acquitted after the complainant could not identify them in court. **HTC**

Action against gambling

CHANDIGARH: The Chandigarh police arrested Sanjay Gupta, resident of Mori Gate Mani Majra, Chandigarh, while he was ga,bling near HDFC Bank, Gobind Pura, Mani Majra, Chandigarh and recovered cash worth Rs 4,500 from his possession. A case under Sections 13A-3-67 of the Gambling Act has been registered at Mani Majra police station, Chandigarh. However, later he was released on bail. Investigation into the case is on. Meanwhile, one more case came across the Chandigarh police, arrested Kamal Gupta, resident of Mori Gate, Mani Majra, Chandigarh, while he was gambling near Civil Hospital, Mani Majra, Chandigarh and recovered cash worth 2,500 from his possession. A case under Sections 13A-3-67 of the Gambling Act has been registered at Mani Majra police station, Chandigarh. However, later he was released on bail.

DP

Daily Post Dt: 13/07/2018

Two held under liquor drive

CHANDIGARH: Two different cases under Sections 68-1(B) of the Punjab Police Act 2007 and 510 of the IPC have been registered at Mauli Jagran police staion and Sector 36 police station, Chandigarh, against two persons who were arrested while consuming liquor at public place. However, later both were released on bail. Investigation into the case is underway. The drive will continue in future, the general public is requested not to break the law. *DP*

One arrested under NDPS Act

CHANDIGARH: The Chandigarh police have arrested Sandeep Kumar aka Kaja, resident of DMC, Chandigarh, near T-Point near Govt Model School, DMC, Chandigarh and recovered 250 grams of ganja from his possession on July 11. A case under Section 21 of the NDPS Act has been registered at Maloya police station, Chandigarh. Investigation into the case is on. *DP*

Daily Post Dt: 13/07/2018

ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 427, 458, 506 ਤਹਿਤ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਰਫ਼ ਬਤਿਸਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

Ajit Dt: 13/07/2018

ਗਾਂਜੇ ਸਮੇਤ ਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗੋਵਾਲ)- ਮਲੋਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਂਜੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕਾਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ 250 ਗਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ 21 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Ajit Dt: 13/07/2018

ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਨੁਜ ਤੇ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਮੀਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ ਵਸਨੀਕ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾ ਲਹੌਰਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Fri,
epap